

358

दिनांक 04/05/2026



**कार्यालय मुख्य आयुक्त**  
Office of the Chief Commissioner  
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर  
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur  
(Cadre Control Unit)

स्थापना आदेश संख्या सीसीयू-33/2026  
**ESTABLISHMENT ORDER NO. CCU - 33/2026**  
दिनांक: 04.05.2026  
**DATED: 04.05.2026**

(DPC Reference Number : Jaipur\_CGST/ASI\_W/Reg/2026/28-10-2025/032)

निम्नलिखित हेड हवलदार को, पैनल/रिक्ति वर्ष 2026 के लिए, वेतन मैट्रिक्स स्तर-3 (रु. 21,700/- से रु. 69,100/-) तथा अन्य स्वीकृत भत्तों सहित, जैसे भी देय हैं, सहायक उप निरीक्षक (आयुध), समूह 'सी' की श्रेणी में, सहायक उप निरीक्षक (आयुध) पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से, नियमित आधार पर, पदोन्नत किया जाता है :

The following Head Hawaldar, Group 'C' is hereby promoted to the grade of Assistant Sub-Inspector (Weapons), Group 'C' in Level-3 of Pay Matrix Rs. 21,700/- to Rs. 69,100/-plus other allowances, as admissible, for the panel/vacancy year 2026 on regular basis, with effect from the date of assumption of the charge of the promoted post :-

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth	Present Place of Posting (Commissionerate)
1	2	3	4
1.	Shri Amar Singh	19.03.1968	CGST Audit, Jaipur

2. उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति "इन-सीटू" आधार पर की जाती है अर्थात् उक्त अधिकारी सहायक उप निरीक्षक (आयुध), समूह 'सी' उसी स्थान पर काम करना जारी रखेंगे, जहां वे वर्तमान में पदस्थापित हैं, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहायक उप निरीक्षक (आयुध), समूह 'सी' के लिए उनके पदस्थापना आदेश जारी नहीं किए जाते हैं।

The promotion of the aforesaid officer is made on "IN-SITU" basis i.e. such Assistant Sub-Inspector (Weapons), Group 'C' shall continue to work at the same place where he is presently posted till his posting order for Assistant Sub-Inspector (Weapons), Group 'C' is issued by the Competent Authority.

3. उपरोक्त पदोन्नति पर, पदोन्नत पद में वेतन निर्धारण के विकल्प का लाभ, यदि देय हो, डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या डीओपीटी-1667551701810 दिनांक 13 सितंबर 2022 में निहित प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त नामित अधिकारी को उपलब्ध होगा। यदि विकल्प का लाभ देय है, तो वे विकल्प का प्रयोग उनकी पदोन्नति की तारीख से एक महीने के भीतर कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के बाद विकल्प प्रस्तुत करने में विलंब के क्षमादान के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

On promotion, benefit of option for fixation of pay in the promotional post, if admissible, shall be available to the officer named above in terms of provisions contained in the DoPT's O.M. No. DOPT-1667551701810 dated 13<sup>th</sup> September 2022. He may exercise the option, if benefit of the same is admissible, within one month from the date of his promotion. No request for condonation of delay in submitting the option after the stipulated period will be entertained.

4. उल्लेखित अधिकारी की उपरोक्त पदोन्नति, पदोन्नति में आरक्षण के मामले में जरनैल सिंह बैच के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले आगामी आदेशों के अधीन होगी।

The promotion of the aforesaid officer shall be subject to further orders which may be passed by the Hon'ble Supreme Court in the **Jarnail Singh** batch of cases in the matter of reservation in promotion.

5. उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति, वर्तमान में लंबित किसी भी मुकदमेबाजी/मामलों आदि या जोकि किसी भी न्यायिक मंच के समक्ष वरिष्ठता/पदोन्नति/आरक्षण के मुद्दे पर भविष्य में उत्पन्न हो सकते हैं, के परिणाम के अधीन है।

The promotion of the aforesaid officer is subject to outcome of any litigation/cases etc. pending presently or which may arise in future on the issue of seniority/promotion/reservation before any judicial forum.

6. अधिकारी को सतर्कता की दृष्टि से कोई आपत्ति नहीं होने पर ही, पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

The officer should be allowed to join the promoted post, if clear from the vigilance angle.

Digitally signed by  
DINESH SINGH DEWAL  
Date: 04-05-2026  
12:56:53

(दिनेश सिंह देवल)  
अपर आयुक्त  
(Dinesh Singh Dewal)  
Additional Commissioner

F.No. GCCO/II/3/PROM/28/2024-ADMN/

Dated : 04.05.2026

प्रतिलिपि सूचना और आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संबंधित अधिकारी।

358

दिनांक 04/5/2024

2. प्रधान आयुक्त / आयुक्त, सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/अलवर/ऑडिट जयपुर/ऑडिट जोधपुर/अपील जयपुर/अपील जोधपुर/सीमा शुल्क जोधपुर (मुख्यालय - जयपुर)।
3. अधीक्षक (प्रशासन)/(सतर्कता), सीसीओ, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी / वेतन एवं लेखाधिकारी/अधीक्षक(सतर्कता)/प्रशासनिक अधिकारी (मुख्यालय/स्था/डीडीओ) ऑडिट जयपुर। (सभी संबंधित कृपया विभागीय वेबसाइट से आदेश डाउनलोड कर सकते हैं)।
5. सर्विस बुक / गार्ड फाइल / नोटिस बोर्ड / संबंधित कर्मचारी संघ।
6. जोनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु, वेबमास्टर।